Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal

Volume 3 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

समाज में कामकाजी महिलाओं की भूमिका और उनके प्रति दृष्टिकोण

[1]रीना, [2]डॉ. महेन्द्र कुमार चौरसिया

[1]शोधार्थी, [2]पर्यवेक्षक

[1–2]विभागः समाजशास्त्र, आई0ई0सी0 विश्वविद्यालय, बद्दी, सोलन

सार

यह पत्र भारत में कामकाजी महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है, जिसमें वे जो चुनौतियाँ और अवसरों का सामना करती हैं, उनके पेशेवर और घरेलू दायित्वों को संतुलित करने की प्रक्रिया को उजागर किया गया है। संविधान द्वारा समानता की गारंटी मिलने के बावजूद, महिलाएँ जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी में महत्वपूर्ण भेदभाव और बाधाओं का सामना करती हैं। यह पत्र महिलाओं की पारंपरिक घरेलू कर्तव्यों से लेकर कार्यबल में सक्रिय भागीदारी तक के विकसित होते हुए भूमिका का विश्लेषण करता है, साथ ही समाज में कामकाजी महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और मानसिकता पर भी विचार करता है। इसके अतिरिक्त, यह पत्र शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान पर चर्चा करता है। अंत में, यह नीति–निर्माण और समाज की सोच में बदलाव की महत्ता पर जोर देता है ताकि लिंग समानता प्राप्त की जा सके और भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊंचा किया जा सके।

मुख्य शब्दः कामकाजी महिलाएँ, सामाजिक स्थिति, लिंग समानता, समाज का दृष्टिकोण, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, चुनौतियाँ, सशक्तिकरण, घरेलू दायित्व, लिंग भेदभाव।

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal

Volume 3 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

भूमिका

महिलाओं का कामकाजी होना कई बातों पर निर्भर हैं–**पुरूषों द्वारा अनदेखी परिवार का आर्थिक बोझ तथा मान सम्मान की भावना इत्यादि।** कामकाजी महिलाओं को घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां का निर्वाह करना पड़ता हैं प्रायः देखा जाता हैं कि पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग सहज रूप मे ंनहीं मिल पाता।

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती हैं। महिलाओं की स्थिति में समय–समय पर देशकाल के अनुसार परिवर्तन होता रहा हैं। समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुये जिससे महिलाओं की स्थिति में दिन–प्रतिदिन गिरावट आती गई तथा महिलाओं पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की परतन्त्रता के कारण भारतवर्ष विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक हैं। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही प्रमुख हैं जितनी की शरीर को जीवित रखने के लिये जल, वायु, और भोजन हैं। महिलाएँ ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती है फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक महिलाएँ उपेक्षित ही रही हैं। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता रहा हैं, इसी कारण महिलाओं प्रस्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर है। भारतीय समाज की परम्परागत व्यवस्था में महिलाएँ आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन करती रही है। भारतीय समाज में संविधान में पुरूषों एवं महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार दिये जाने के बादवजूद इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि में महिलायें अभी भी पुरूषों से काफी पीछे हैं। भारतीय समाज में महिला आज भी कमजोर वर्गों में शामिल हैं। महिला परिवार को आधारशिला हैं और सामाजिक विकास बहुत कुछ

Volume 3 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

उसी के सद्प्रयासों से संभव हैं। जिस समाज की महिलायें उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार होती हैं वह समाज कभी प्रगति न हीं कर सकता।

महिलाओं के ऊपर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक एंव अन्य अनेक ऐसी निर्योग्यतायें लादी दी जाती हैं जिसके कारण उन्हें जीवन में आगे बढ़ने एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर नहीं मिलता हैं। ये निर्योग्यतायें उनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौतियाँ एवं समस्यायें बनकर उभरी हैं। इस निर्योग्यताओं के कारण कार्य में दक्षता, योग्यता, एवं कुशलता होने के बावजूद ये महिलायें न तो सार्वजनिक क्षेत्र में अपना योगदान कर सकती थी और नही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और न किसी प्रकार का धार्मिक कार्य बिना पुरूष के सम्पादित कर सकती थी। पुरूष वर्ग के साथ खानपान पर प्रतिबन्ध था। महिलाओं के लिये उच्च शिक्षा के दरवाजे पूर्णतया बन्द थे। जिससे उन्हें विवशतापूर्ण जिंदगी घर की चारदीवारी के अंदर व्यतीत करनी पड़ती थी। इन्हें पढ़–लिखकर नौकरी करने के अधिकारों से वंचित रखा गया था। महिलाओं की बदतर स्थिति के लिये मूलरूप से ही लड़कों, लड़कियों को संस्कार रूप में मिलने वाली सोच जिम्मेदार हैं, उसके बाद पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परम्परायें, मूल तथा रीति–रिवाज इस दृष्टिकोण ओर पुष्टि करते हैं कि इस सोच में बदलाव लाना महिला विकास की सबसे बड़ी चुनौती हैं।

महिलाओं की शिक्षा पर बल देते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) के ये ऐतिहासिक शब्द भी ध्यान देने योग्य हैं, जो निम्न हैं :– ''शिक्षित महिला के बिना शिक्षित पुरूष हो ही नहीं सकता। यदि पुरूषों और महिलाओं में से केवल किसी एक के लिये सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर महिलाओं को दिया जाना चाहिये, क्योंकि यह शिक्षा स्वयंमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जायेगी।''

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal

Volume 3 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

सन् 1963 के वनस्थली विद्यापीठ में भाषण देते हुये पं० जवाहरलाल नेहरु ने भी इसी तथ्य को दोहराया था कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा हैं, परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा हैं। इन विवेचनाओं में महिलाओं के लिए शिक्षा की आवश्यकता एंव महत्व स्पष्ट होता हैं, लेकिन स्त्री शिक्षा इतनी आवश्यक होते हुये भी उपेक्षित हैं इसलिये महिलाओं के सामने यह एक जटिल समस्या एवं चुनौती के रूप में उभरकर सामने आयी हैं। शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि सभी दृष्टियों से महिलायें अभी भी पिछड़ी हुई हैं। कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से अनेक अधिकार प्राप्त होने और योजनागत विकास कार्यक्रमों के प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की परिस्थिति सोचनीय हैं। स्वामी विवेकानन्द के कथनानुसार कोई राष्ट्र तब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास मं भागीदार नहीं बनता हैं।

इस प्रकार महिला एक अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का स्त्रोत होती हैं। विद्या से ही व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता और रूढ़िवादिता की जंजीरो को तोड़ सकता हैं। यदि महिला शिक्षित हैं कामकाजी हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता हैं। शिक्षा ही हमें सामाजिक भेदभावों और ऊँच–नीच की भावनाओं से उबारने का काम करती हैं। इसलिये महिलाओं का शिक्षित होना बहुत आवश्यक होता जाता हैं, क्योंकि उसके विचार ही उसके बच्चे होते हैं अगर वह अपने बच्चों को इन रूढ़िगत विचारों से दूर रखे और यह बताये कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यक्ति के कार्य और विचार ही उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। यदि माता अपने बच्चों में जाति–भेद और धर्म–भेद रहित विचारों का बीजारोपण करें तो आगे चलकर वह एक ऐसा वृक्ष बनेगा। जिसमें सामाजिक समरसता से पूर्ण फल लगेंगे जो बिना किसी भेदभाव के छाया भी प्रदान करेगा।

इस प्रकार एक शिक्षित महिला एक शिक्षित देश को जन्म देती हैं। यदि हम इतिहास पर नजर डाले तो हमें बहुत सी विदुषी महिलाओं के नाम मिल जायेगें, जिन्होंने अपनी विधवा को लोहा मनवाया था और इस प्रकार इतिहास में अपना नाम अमर करा लिया था। ऐसी महिलाओं में सावित्री मैत्रेयी, अपाला, घोषा, गोपा, और गार्गी जैसी अन्य अनेक महिलाओं के नाम मिलते हैं। जिन्होंने विद्यार्जन कर महिलाओं के अस्तित्व को गौरव प्रदान किया था। उनकी शक्ति थी उनकी विद्या, लेकिन बाद के कालों में उनकी यह शक्ति उनसे छीनी जाने लगी। उन्हें विद्या से रहित कर दिया गया और यही उनकी स्थिति का अनवत कारण बना। देखा जाये तो आज भी वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पायी हैं। हालांकि कुछ हद तक उसने अपने को उबारा हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण रूपेण उन्नति होना बाकी हैं। सामाजिक कुरीतियों का उसे शिकार बनाया गया। छोटी उम्र में विवाह प्रारम्भ हुये, उपनयन संस्कार से उसे वंचित किया जाने लगा, फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व कुंठित हो गया है। बाल–विवाह के कारण शिक्षा उससे छिन गई और तब यह केवल संभ्रान्त परिवारों की महिलाओं तक ही सीमित हो गई या पुरूष की संकीर्ण मानसिकता से महिला को शिक्षा से वंचित होना पड़ा, जिसके कारण वह पर्दा–प्रथा, सती प्रथा, नियोग–प्रथा आदि अनेक बुराईयों की बेड़ियों को काटने में असक्षम हो गई, क्योंकि उसका हथियार **"शिक्षा"** उससे छीन लिया गया था। शिक्षा जो कि सिर्फ सर्वांगीण विकास ही नहीं करती, बल्कि हमें समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है। वो हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करती हैं।

आज जरुरत हैं नारी को समय की मुख्य धारा से जोड़ने की। आज की नारी ममतामयी हैं, त्यागमयी हैं, महिलाएँ त्याग के बलबूते पर समाज के हर पहलू से जुड़ी हुई हैं। यह आत्मनिर्भर और पढ़ी लिखी हैं एवं अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति

जागरुक हैं इसकी शिक्षा से आज नौकरी पेशा महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई हैं। हमारे समाज में महिलाओं की निःस्वार्थ सेवा हर क्षेत्र में हैं। आज वह देवी बनकर सही अर्थों में इंसान बनना चाहती हैं। कामकाजी महिलाएँ तो दोहरी भूमिका निभा रही है समय के साथ भारतीय महिलाओं के कदम आगे बढ़ रहे हैं। आखिर समय आ गया हैं कि महिलाओं को अधिकार देने तथा उन्हें लैंगिक भेदभाव से मुक्ति दिलाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं और कमियों पर विचार किया जाए यह समझें कि केवल साधनों की उपलब्धि से ही वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए लोगों की सोच में परिवर्तन लाया जाए।

हमारे देश में महिलाओं की स्थिति सदैव समान नहीं रही हैं। इसकी स्थिति में विभिन्न युगों में परिवर्तन होते रहे हैं। महिलाओं की स्थिति में वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक परिवर्तन हुए हैं। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। विकास वह दशा हैं जिसे लोगों के जीवन की परिवर्तन प्रक्रिया में उनके कल्याण का उच्चतर जीवन स्तर आदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता हैं। जो प्रजातांत्रिक विकासशील राष्ट्र के लोगों की आशा आकांक्षाओं से सम्बन्ध होती हैं यदि इसे मानव कल्याण के रूप में उसके पूरे सांस्कृतिक वातावरण से सम्बन्ध किया जाए तो विकास का अर्थ जन सामान्य के लिए सार्थक हो जाएगा, अर्थात् विकास का तात्पर्य सदैव समाज के द्वारा बिना उनकी सांस्कृतिक धरोहर व प्रतिमानों व दूसरों की रूचियों को नष्ट किए बिना ही उच्चता की ओर परिवर्तन से हैं।

शोधकर्ताओं के अनुसार महिला व पुरूष पर विकास के प्रभाव में मित्रता दिखाई गई हैं। उनके अध्ययनों से विदित हुआ है कि विकास प्रभावों की इस मित्रता के कारण समाज व परिवार में महिलाओं का विशिष्टीकरण हुआ हैं। यह प्रभाव साधनहीन परिवारों

तथा जनसंख्या के उन वर्गों में दृष्टिगोचर होते हैं जहाँ महिलाएँ अभी तक परिवार के लिए आर्थिक क्रियाओं के संपादन के बावजूद भोजन बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना आदि से सम्बन्धित कार्यों का संपादन करती हैं। ऐसे में कार्यक्रमों की क्रियान्वित का अर्थ भी केवल परिवार की आय में वृद्धि से ही लिया जाता है न कि अनिवार्य रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार से यद्यपि यह निर्विवाद सत्य हैं कि महिलाएँ उत्पादन प्रक्रिया में अनेक प्रकार से काम लेती हैं तथापि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण व समर्थन सेवाएँ प्रदान की जाए। तो उन्हें अधिक उत्पादक बनाया जा सकता हैं। चूँकि विकास परिवर्तनों का ही पर्याय हैं। अतः किसी क्षेत्र अथवा वर्ग के विकास सम्बन्धी मुद्दे का आंकलन करने हेतु परिवर्तन से पूर्व अथवा पश्चात की सभी सकारात्मक व नकारात्मक परिवर्तनों की स्थितियों का अवलोकन आवश्यक हैं। भारत में महिलाओं के विकास का आकलन व अवलोकन करने हेतु भी उन सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक घटकों की ओर दृष्टिपात करना होगा। जिसके कारण नीति–निर्माता, योजक प्रशासक तथा कार्यक्रमों को कार्यकर्ता उनकी सम्पूर्ण स्थिति को प्रदर्शित करने हेतु निरन्तर प्रयासरत हैं।

''इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि सरकार के तमाम प्रयासों ने महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को पहले से बहुत बेहतर स्थिति में पहुँचाया हैं, लेकिन अब नए–नए कानून बनाने से अधिक यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता हैं कि कैसे उपलब्ध कानूनों का सही क्रियान्वयन किया जाए ताकि अपने संवैधानिक अधिकारों का लाभ शहरों में रह रही उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की वह महिलाएँ भी उठा सकें जो संविधान द्वारा प्रदान किया गए मौलिक अधिकारों से भी वंचित हैं।''

भारतीय समाज में महिलाएँ अपमान, अत्याचार और शोषण का शिकार रही हैं इसीलिए भारत में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का मुद्दा हमेशा ही मुख्यधारा की चर्चा का हिस्सा रहा हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख काण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बंधन, स्त्री नेतृत्व का अभाव, तथा पुरूषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। हालांकि स्वतन्त्रता के बाद से आई विभिन्न सरकारों ने देश में महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक विकास में बराबर की हिस्सेदारी के अवसर प्रदान करने के लिए समय–समय पर अनेक कानून लाकर उनके सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया हैं। इसके बावजूद मुख्यधारा में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के मामलों में भारत अभी भी दुनिया के कई देशों से पीछे हैं।

कुछ ही महीनें पहले प्रकाश में आए एशिया प्रशांत क्षेत्र में लैंगिक समानता पर किए गए एक सर्वे के अनुसार महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के मामले में भारत इस क्षेत्र के 16 देशों में सबसे निचले पायदान पर हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में लैंगिक समानता का अभाव हैं और इस दिशा में काफी प्रगति की आवश्यकता हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि यद्यपि इस क्षेत्र में पुरूषों के मुकाबले महिलाएँ ज्यादा शिक्षित हो रही हैं, लेकिन लैंगिक समानता का अभी भी अभाव हैं, खासकर कारोबारी नेतृत्व, कारोबारी स्वामित्व और राजनीतिक भागीदारी के मामले में। पूरे क्षेत्र में न्यूजीलैंड 77 अंकों के साथ महिला सशक्तिकरण की स्थिति में सबसे बेहतर हैं। जबकि 76 अंकों के साथ आस्ट्रेलिया दूसरे, 77.6 अंक के साथ फिलीपींस तीसरे और 70.5 अंक के साथ सिंगापुर चौथे स्थान पर रहा। वही 44.2 अंक प्राप्त करके भारत, पड़ोसी देशों बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे रहा।

कामकाजी महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण

परम्परागत भारतीय समाज में हमेशा पुरूषों को ही सर्वोच्च समझा जाता है। पुरूषों को ही ार के बाहर जा कर परिवार का अर्थोपार्जन करना होता है। महिलाओं का कार्य घर में रहकर घर की देखभाल व बच्चों को संभालना होता है। उन्हें घर से बाहर कदम रखने की मनाही होती थी। यह पाबन्दी औरतों पर उनकी पवित्रता भंग ना हो व किसी उत्पीड़न का शिकार न हो जाये इसलिए भी थी। उन्हें किसी भी तरह की कोई स्वतन्त्रता नहीं थी। परिवर्तन जीवन का एक अहम रूप है। महिलाओं के प्रति भी परिवर्तन तब आया जब महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करते ही उन्हें अपने अधिकारों का पता चला उनके लिए जो नये नियम कानूनों को बनाया गया, वह उन्हें जागृत करने व अपने प्रति हो रहे दुर्व्यवहार को रोकना था। वक्त बदने के साथ महिलाओं की अवस्था में भी परिवर्तन आया जो महिला घर में ही रहती थी। वह आज शिक्षा प्राप्त कर घर से बाहर निकलकर अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं। पुरूष आज भी महिला को अपने से एक कदम पीछे ही मानते हैं। वह महिला को बराबरी का दर्जा देने से कतराते हैं। उन्हें कभी भी महिला बॉस नहीं चाहिए क्योंकि उससे उनके अहम को चोट पहुँचती है कि अब हमें काम करना महिला सिखायेगी। भले ही महिलाओं को कितनी भी आजादी हो फिर भी महिलाओं को पुरूष ही नियन्त्रित करते हैं, चाहे वह पिता के रूप में, पति के रूप में, ससुर के रूप व अन्य पुरूषों के रूप में क्यों न हो? विवाहित कामकाजी महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण क्या है, यह जानने के लिए उत्तरदाताओं से अच्छा सामान्य, खराब, तटस्थ के रूप में जानकारी प्राप्त की। उसको सारणी संख्या 5.1 में प्रदर्शित किया गया।

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal

Volume 3 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

सारणी संख्या–1.1 : महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण

क्र० सं०	समाज का दृष्टिकोण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	सामान्य	211	70.33
2	अच्छा	65	21.33
3	खराब	14	4.66
4	तटस्थ	10	3.33
योग		**300**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या 1.1 से स्पष्ट है कि 211 (70.33 प्रतिशत) सामान्य, 65 (21.33 प्रतिशत) अच्छा, 14 (4.66 प्रतिशत) खराब, 10 (3.33 प्रतिशत) तस्थ हैं। तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकांश विवाहित कामकाजी महिलाओं के प्रति समाज का सामान्य दृष्टिकोण हैं। इससे यह ज्ञात हुआ हैं कि कार्यशील महिलाओं को अपने प्रति समाज से अधिक अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलती हैं। समाज में अभी भी ऐसे व्यक्ति है जो कामकाजी महिलाओं के प्रति सोच अभी भी वैसी ही हैं।

सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी

महिलाओं में सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी निभाना उन्हें अधिक प्रभावित करता हैं। क्योंकि महिलाओं को कभी शान्त बैठे हुये किसी ने नहीं देखा। महिलायें हर समय किसी न किसी कार्य में लगी ही रहती हैं। चाहे वह घर के काम हो या कार्यालय के, नहीं तो कुछ महिलायें एकत्रित होकर एक दूसरे के बारे में गॉसिप करती हैं। महिलायें अपना व्यस्त समय निकालकर सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी निभाती हैं जिससे वह अपने व्यस्त समय का तनाव कम करती हैं। अनेक अलग–अलग व्यक्तियों से मिलती हैं उनसे प्रभावित होती हैं। जिससे सामाजिक अन्तक्रिया बढ़ती हैं। महिलाओं को सामाजिक व सांस्कृतिक चीजों से जोड़ती है।

शोध में यह जानने का प्रयास किया गया हैं कि विवाहित कामकाजी महिलायें सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी निभाती हैं या नहीं। उत्तरदाताओं से मिली जानकारी को सारणी संख्या 5.2 में प्रदर्शित किया गया हैं।

सारणी संख्या– 1.2 : सामाजिक भागीदारी

क्र० सं०	जानकारी का स्वरूप	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	210	70
2	नहीं	90	30
योग		**300**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या 1.2 से स्पष्ट हैं कि 210 (70 प्रतिशत) महिलाओं ने हाँ में, 90 (30 प्रतिशत) महिलाओं ने नहीं में उत्तर दिया। तथ्यों के अनुरूप यह ज्ञात हुआ हैं कि अधिकांश महिलायें सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी निभाती हैं। शोधकर्त्री ने उनसे यह जानने का प्रयास किया कि वह कौन–सी सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी निभाती हैं? जिसका विवरण सारणी संख्या 5.3 में प्रदर्शित हैं।

सारणी संख्या– 1.3 : सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी

क्र० सं०	सामाजिक क्रियाकलापों का स्वरूप	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	वैवाहिक समारोह	115	41.07
2	सांस्कृतिक कार्य	65	23.21
3	किटी पार्टी	20	7.14
4	सामाजिक समारोह	35	12.5
5	अन्य	45	16.07
योग		**270**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या 1.3 से स्पष्ट हैं कि 115 (41.07 प्रतिशत) विवाह समारोह, 65 (23.21 प्रतिशत) सांस्कृतिक कार्य, 20 (7.14 प्रतिशत) क्लब, 35 (12.5 प्रतिशत) सामाजिक समारोह, 45 (16.07 प्रतिशत) अन्य सामाजिक क्रियाकलापों में चुनावी ड्यूटी में भाग लेना, समाजसेवा, कमेटी, गरीब बच्चों की मदद आदि। तथ्यों के अनुरूप यह ज्ञात हुआ हैं कि अधिकतर उत्तरदाता विवाह समारोह में अधिक रूचि लेती हैं। महिलायें अपने कार्यालय के कार्यों के लिए सामाजिक समारोह में भाग लेती हैं।

निष्कर्ष:

कामकाजी महिलाओं की स्थिति में समय के साथ काफी परिवर्तन हुआ है, हालांकि उन्हें अभी भी कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को उनके अधिकारों और समानता की दिशा में जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि वे समाज और देश के विकास में समान रूप से योगदान दे सकें। शिक्षा, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करने से महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सकता है। समाज का दृष्टिकोण बदलने और महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने से ही हम एक समान और प्रगतिशील समाज की स्थापना कर सकते हैं। सरकारी प्रयासों के बावजूद, यह जरूरी है कि इन नीतियों का सही क्रियान्वयन किया जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं समान रूप से लाभ उठा सकें। महिलाओं का सशक्तिकरण, न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि समाज के समग्र कल्याण के लिए भी आवश्यक है।

संदर्भ

10. दूबे लीला, ''एथोपोलॉजिकल उक्सप्लोरेशन इनजेंडर, इंटरसेक्टिंग फील्ड, सेग पब्लिकेशन, 2001, नई दिल्ली।

Volume 3 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

11. देसाई नीरा ठक्कर ऊषा, ''भारतीय समाज में महिलाएँ'', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2009, नई दिल्ली।

12. यू० कल्पागम, ''वुमेन वर्क एंड डोमोस्टिक डयूटिस : इनकम फॉर हाउस वाइफ, द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक, खंड 42, नं० 4, अक्टूबर दिसम्बर 1999

13. जैन चन्द्र जगदीश, नारी के विविध रूप, चौखम्बा ऑरिएन्टालिया, वाराणसी, 1978

14. जॉनसन, समाजशास्त्र जेनिरिक प्रकाशन, दिल्ली 2006

15. रोजाल्डो, एम० एवं एल० लेम्पीयरे, ''विमेन कल्चर सोसाइटी, स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस स्टेन फोर्ड, 1974

16. रायडन पी०, ''रोल कॉनफिलिक्ट इन वर्किंग वूमेन,'' चेतना प्रकाशन, दिल्ली, 1986